

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 1063 / FP/UK/OFC/41286/2019 देहरादून: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2019

सेवा में,

सचिव,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,

उत्तराखण्ड शासन।

विषय:-जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जौनपुर अन्तर्गत में यमुना पुल से कैम्पटी तक किमी0 कुल 16.2 किमी0 मोटर मार्ग के किनारे भूमिगत ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाने हेतु 0.486 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु विन्धिया टेलीलिक लि0 को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

(Online proposal no- FP/UK/OFC/41286/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु विन्धिया टेलीलिक लि0, देहरादून के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.486 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी संस्तुति/सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग-निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निर्देशानुसार राज्य सरकार को ओ0एफ0सी0 के प्रकरणों में वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है, बशर्ते इस हेतु उपयोग में लाये जा रहे वन भूमि का RoW पूर्व में स्वीकृत किया गया हो। इस प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी, वन प्रभाग, मसूरी के पत्रांक 1296/12-1 दिनांक 26-09-2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने की तिथि से पूर्व का है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/OFC/41286/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
7. उप महाप्रबन्धक, विन्धिया टेलीलिक, प्लॉट संख्या-ई-237, तीसरी मंजिल, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-ViiiB, मोहाली, पंजाब।

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जौनपुर अन्तर्गत में यमुना पुल से कैम्पटी तक किमी० कुल 16.2 किमी० मोटर मार्ग के किनारे भूमिगत ओ०एफ०सी० लाईन बिछाने हेतु 0.486 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु विन्धिया टेलीलिंग लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

(Online proposal no- FP/UK/OFC/41286/2019)

जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जौनपुर अन्तर्गत में यमुना पुल से कैम्पटी तक किमी० कुल 16.2 किमी० मोटर मार्ग के किनारे भूमिगत ओ०एफ०सी० लाईन बिछाने हेतु 0.486 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु विन्धिया टेलीलिंग लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव 0.204 है० आरक्षित वन भूमि एवं 0.282 है० सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल 0.486 है० वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-टिहरी/प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनाम:

हस्ताक्षर:

(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहर:

UTTARAKHAND, DEHRADUN

तिथि : 19/10/2019

स्थान : देहरादून